कम्प्यूटर परिपत्र सं०- 2021045 दिनांक 10-02-2021

पत्र सं0: जी0एस0टी0/2020–21/End Use Certificate/ 538 /वाणिज्य कर

कार्यालयः–कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश,
(जी0एस0टी0 अनुभाग)
लखनऊः दिनांकः 10 फरवरी, 2021

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉरपोरेट सर्किल),
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः– राज्य कर प्रशासन के अधिकारियों के स्तर से "Imported Goods" के संदर्भ में "End Use Certificate" जारी किये जाने विषयक।

कृपया मार्गदर्शन हेतु फील्ड में तैनात अधिकारियों से प्राप्त उक्त विषयक पत्रों के क्रम में मुख्यालय से जारी पत्र संख्या– विधि–4/2019–20/श्री राम प्रकाश ज्वाइन्ट कमिश्नर (कॉरपोरेट) मु0न0/201/वाणिज्य कर दिनांक 01 अगस्त, 2019 तथा पत्र संख्या– जी.एस.टी. अनुभाग/2020–21/End Use Certificate/168/वाणिज्य कर दिनांक 04 अगस्त, 2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचित किया गया था कि, "**प्रकरण जी.एस.टी. काउंसिल की लॉ कमेटी के समक्ष विचाराधीन है, जी.एस.टी. काउंसिल/जी.आई.सी./लॉ कमेटी से कोई निर्णय प्राप्त होने के उपरान्त तदनुरूप अवगत कराया जाएगा।**"

समसंदर्भ में अद्यतन स्थिति निम्नवत् है–

(i) उक्त संदर्भित बिन्दु राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "Customs Tariff Act, 1975" के तहत जारी Notification No. 50/2017-Customs दिनांक 30 जून, 2017 से सम्बन्धित है।

(ii) Notification No. 50/2017-Customs दिनांक 30 जून, 2017 के Serial No. 559, Condition No. 30 for Serial No. 292, Condition No. 37 for Serial No. 331, Condition No. 60 for Serial No. 430 एवं Condition No. 61 for Serial No. 431 के सम्बन्ध में "Jurisdictional Deputy Commissioner of Central Tax or the Assistant Commissioner of Central Tax or the Deputy Commissioner of State Tax or the Assistant Commissioner of the State Tax" के स्तर से कार्यवाही अपेक्षित थी।

(iii) राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी Notification No. 2/2021-Customs दिनांक 01 फरवरी, 2021 से पूर्व में जारी मूल Notification No. 50/2017-Customs दिनांक 30 जून, 2017 में कतिपय संशोधन किये गए हैं। मूल Notification No. 50/2017-Customs दिनांक 30 जून, 2017 में उपरोक्त प्रस्तर संख्या (ii) में अंकित

प्रक्रिया के सम्बन्ध में Notification No. 2/2021-Customs दिनांक 01 फरवरी, 2021 से किये गए सुसंगत संशोधन निम्नवत् हैं–

**"(89)** against S. No. 559, in column (3), in the Explanation, in item (i), for the words jurisdictional jurisdictional Deputy Commissioner of Central tax or the Assistant Commissioner of Central tax or the Deputy Commissioner of State tax or the Assistant Commissioner of State tax, as the case may be, the words, brackets and figure "Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017", shall be substituted; "

**"III.** in the Explanation, after clause (II), the following clause shall be inserted, namely: - (III) Consequent to the amendments made with effect from 2nd February, 2021 in the entries against S. Nos. 292, 430, 431 and 559, the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs having jurisdiction under the Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty) Rules, 2017 shall complete pending action, if any, in respect of imports made earlier therein."

अतः कृपया राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मूल Notification No. 50/2017-Customs दिनांक 30 जून, 2017 में Notification No. 2/2021-Customs दिनांक 01 फरवरी, 2021 के माध्यम से किये गए उक्त संशोधन से अधीनस्थ अधिकारियों तथा करदाताओं को अवगत कराने का कष्ट करें।

(अमृता सोनी)
**कमिश्नर, वाणिज्य कर,**
**उत्तर प्रदेश।**